


उपखण्ड अधिकारी, मांडल

31-10-24 पंजाबली पेश हुई, वकील प्राची उपस्थित, तहसीलदार
मांडल से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शां पं छिपा
गया। रिपोर्ट में बताया गया कि निर्णय एव डिर्डी
की पालना में नामान्तरण सं. 612 दिनांक 13-4-24
को पालना की जा चुकी है। प्रकरण में शेष भागों में
कार्यरही शेष नहीं है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर
बंद किया जाता है। पंजाबली फॉर्मल नुमांदा होकर
मस्वर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा